

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.), वाड्डफनगर
जिला बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.)

क्र./174/वाचक-1/अ.वि.अ./2017

वाड्डफनगर दिनांक - 04/12/2017

प्रति,

कलेक्टर
(एन0आई0सी0शाखा)
जिला बलरामपुर-रामानुजगंज (छ0ग0)

विषय :- वेबसाईट पर राजपत्र को अपलोड किये जाने बाबत।

—000—

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस न्यायालय में दर्ज भू-अर्जन के प्रकरण क्रमांक 2/अ-82/2014-15 ग्राम सुलसुली एवं प्रकरण क्रमांक 3/अ-82/2014-15 ग्राम सुलसुली तथा प्र0क्र0 4/अ-82/2014-15 ग्राम शारदापुर सू में नया भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अंतर्गत धारा 11 एवं धारा 16 के तहत जाी अधिसूचना की कॉपी संलग्न कर प्रेषित है। कृपया इसे कलेक्टर (भू-अर्जन) बलरामपुर के वेबसाईड में अपलोड करने का कष्ट करें।
संलग्न- राजपत्र की छापाप्रति।

Anil Sidar
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
वाड्डफनगर

Anil Sidar
कलेक्टर
बलरामपुर-गंज (छ.ग.)

महासमुंद, दिनांक 7 सितम्बर 2015

क्रमांक/290/क/भू-अर्जन/19/अ/82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

भूमि का वर्णन				अनुसूची	धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
महासमुंद	पिथौरा	घोंच प.ह.नं. 16	0.46		कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रायपुर.	घोंच-बेलर मार्ग पर सुखा नाला में पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पिथौरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बलरामपुर, दिनांक 13 अगस्त 2015

रा.प्र.क्र./3645/अ-82/2015-16.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलरामपुर	वाड़फनगर	सुलसूली प.ह.नं. 27	17.12	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र. 2, रामानुजगंज, जिला- बलरामपुर (छ.ग.)	सुलसूली योजना के डुब क्षेत्र बांध निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), वाड़फनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

(1)	(2)	(1)	(2)
344/4	0.004	278/3	0.26
योग	33	278/2	0.53
		286	0.45
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लीलागर व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत बछौद शाखा नहर निर्माण हेतु.		287	0.68
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भू-अर्जन अधिकारी, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.		381	1.32
		288	0.39
		376	1.59
		379	0.19
		393	0.24
		396	0.45
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. भारती दासन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.		384	1.22
		387	0.18
		451	0.84
कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग		391	0.28
		390/2	0.30
		390/1	0.39
		445	0.55
		382	0.68
		388	0.23
बलरामपुर-रामानुजगंज, दिनांक 1 नवम्बर 2016		443	0.53
		444	0.35
क्रमांक 7906/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-		456/1	0.60
		447/1	0.40
		447/2	0.40
		456/2	0.40
		441/1	0.06
		441/2	0.05
		441/3	0.05

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बलरामपुर
(ख) तहसील-वाड़फनगर
(ग) नगर/ग्राम-सुलसुली
(घ) लगभग क्षेत्रफल-17.12 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
352	0.60
351	0.55
346	0.75
350	0.70
347	0.65
278/1	0.26

योग 34 17.12

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सुलसुली जलाशय हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), वाड़फनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलरामपुर-रामानुजगंज, दिनांक 1 नवम्बर 2016

क्रमांक 7907/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

बलरामपुर, दिनांक 13 अगस्त 2015

रा.प्र.क्र./3648/अ-82/2015-16. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलरामपुर	वाड़फनगर	ककनेशा प.ह.नं. 12	14.49	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र. 2, रामानुजगंज, जिला- बलरामपुर (छ.ग.)	ककनेशा जलाशय योजना के डूब क्षेत्र बांध निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), वाड़फनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलरामपुर, दिनांक 13 अगस्त 2015

रा.प्र.क्र./3649/अ-82/2015-16. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलरामपुर	वाड़फनगर	सुलसूली प.ह.नं. 27	4.07	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र. 2, रामानुजगंज, जिला- बलरामपुर (छ.ग.)	सुलसूली जलाशय योजना के डूब क्षेत्र नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), वाड़फनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलरामपुर, दिनांक 13 अगस्त 2015

रा.प्र.क्र./3646/अ-82/2015-16.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिफल और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलरामपुर	वाडुफनगर	बडुकागांव प.ह.नं. 36	5.95	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र. 2, रामानुजगंज, जिला- बलरामपुर (छ.ग.)	ग्राम-बडुकागांव सुखनई बांध से प्रभावित नहर क्षेत्र.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), वाडुफनगर के कार्यालय में किया जा सकता है।

बलरामपुर, दिनांक 13 अगस्त 2015

रा.प्र.क्र./3647/अ-82/2015-16.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिफल और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलरामपुर	वाडुफनगर	शारदापुर (सु) प.ह.नं. 12	10.24	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र. 2, रामानुजगंज, जिला- बलरामपुर (छ.ग.)	शारदापुर (सु) सुलसूली जलाशय योजना के डूब क्षेत्र बांध निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), वाडुफनगर के कार्यालय में किया जा सकता है।

अनुसूची

बलरामपुर-रामानुजगंज, दिनांक 1 नवम्बर 2016

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-बलरामपुर
(ख) तहसील-वाडफनगर
(ग) नगर/ग्राम-शारदापुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-10.24 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
153/1	0.64
167	0.26
153/2	0.70
162	0.57
143	0.44
146	0.35
161	0.80
164	0.71
165/1	0.22
165/2	0.21
148	0.19
149	0.13
151	0.84
165/3	0.05
165/4	0.11
165/5	0.10
165/6	0.11
165/7	0.11
174	0.47
177	0.51
196	0.23
178	0.80
183	0.10
184	0.20
185	0.16
187	0.07
188	0.10
159	0.83
95	0.23
योग	29
	10.24

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सुलसुली जलाशय (ग्राम-शारदापुर) हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), वाडफनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्रमांक 7909/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जाएगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-बलरामपुर
(ख) तहसील-वाडफनगर
(ग) नगर/ग्राम-कोटराही
(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.51 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1764	0.35
1815	0.63
1814	0.68
1821/1	0.76
1823	1.12
1824	0.39
1791	0.92
1804	0.02
1805	0.24
1809	0.30
1808	0.33
1811	0.36
1790	0.49
1787	0.28
1792/2	0.42
1793	0.22
1795	0.38
1767	0.28
1763	0.34
योग	19
	8.51

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोटराही जलाशय हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), वाडफनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.